(2)

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

महावीर ....बनाम ....सरकार

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा –75 एल.आर.एक्ट 1956 अपील संख्या 178/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/2/23	पत्रावली पेश हुई। बार द्वारा शोक प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 22/3/23 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
22/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप.। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस एड. दिनांक 27/3/23 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
27/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप.। वकील केवियटकर्ता उप.। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस एड. दिनांक 4/4/23 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
4/4/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री श्यामबाबू पारीक एड. उप.। रेस्पो. नं. 3 के वकील श्री हरलाल सिंह एड. केवियटकर्ता एवं प्रार्थीगण स्वयं उप.। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र विड्रो करने अपील प्रस्तुत किया। शा.फा. हो। वकील उभयपक्ष को प्रार्थी अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने पर सुना गया। वकील अपीलार्थी श्री श्यामबाबू पारीक ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त इन्तकाली प्रकरण में पक्षकारान में लोक अदालत की भावना से पाँच लोगों के समझाने पर राजीनामा कर लिया है व P.T.O.	महावीर [signature] अपील अपीलार्थी [signature] रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 की अधिवक्ता

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	178/2022 महावीर बनाम सरकार	
	मौखिक राजीनामा होने व जमाबन्दी में नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन होने से प्रार्थी यह अपील नहीं चलाना चाहता है व विड्रो करना चाहता है। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील विड्रो करने की कृपा करें। रेस्पोंडेन्ट को भी कोई आपत्ति नहीं है। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि उक्त अपील प्रकरण में अपीलार्थी स्वयं ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। रेस्पो. नं. 3 को भी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विड्रो स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी स्वयं अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। 4/5/23 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	